

**भेरठ विकास प्राधिकरण की
सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों को
ओटीएस (एक मुश्त समाधान) योजना
के लाभ हेतु आवश्यक सूचना**

शासनादेश सं० 2604/आठ-1-15-01विविध/2000 दिनांक 10-08-2015 द्वारा ओटीएस दिनांक 31-03-2016 तक अवधि हेतु बढ़ायी गयी है जो शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2011 में विहित प्राविधान अनुसार विकास प्राधिकरणों की योजना के अन्तर्गत आवंटित की गयी सम्पत्ति का भुगतान समय से न कर पाने के कारण जो आवंटी डिफाल्टर है, के आवेदन पत्र जमा करने हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित है:-

क्र० सं०	सम्पत्ति का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस रूपये में	ओटीएस आवेदन पत्र के साथ जमा की जाये वाली प्रारम्भिक धनराशि (रूपये में)
1.	ई०डब्लू०एस०भवन/भूखण्ड	100/-	5000/-
2.	एल०आई०जी० भवन/भूखण्ड	500/-	10000/-
3.	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्सड लेडयूज की सम्पत्तियों तथा व्यवसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	1000/-	25000/-
4.	ग्रुप हाउसिंग	5000/-	100000/-
5.	संस्थागत सम्पत्ति	5000/-	100000/-
6.	क्रम सं० 3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	5,000/-	100000/-

उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रोसेसिंग फीस एवं ओटीएस आवेदन पत्र के साथ जमा की जाये वाली प्रारम्भिक धनराशि प्राधिकरण परिसर स्थित इलाहाबाद बैंक में जमा कराकर कमरा नं० 9 से रूपये 5/- के भुगतान पर ओटीएस आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

निर्धारित अवधि तक डिफाल्टर्स आवंटियों द्वारा इस योजना का लाभ लेते हुए आवंटित सम्पत्ति के निमित्त देय धनराशि यदि जमा नहीं करायी जाती है तो सम्बन्धित सम्पत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अपर सचिव।

उपाध्यक्ष